P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika
E: ISSN NO.: 2349-980X Vol-III* Issue-IV* December-2015

हिन्दूधाम पुरी के भिखारियों में ''दरिद्रता की संस्कृति''

विनोद रंजन
सहायक प्राध्यापक,
मानव विज्ञान विभाग,
विनोबा भावे वि"वविद्यालय,
हजारीबाग

सारांश

प्रस्तुत लेख जगन्नाथ पुरी, उड़ीसा के भिखारियों के संदर्भ में किये गए मानव"ाास्त्रीय क्षेत्र–कार्य पर आधारित है। आलेख का मूल उद्दे"य हिन्दूधाम पुरी में भिक्षावृति करने वाले विविध प्रकार के भिखारियों के जीवन शैली व संस्कृति के संदर्भ में ऑस्कर लेविस द्वारा प्रस्तुत ''दरिद्रता की संस्कृति'' की अवधारणा की व्याख्या व वि"लेषण करना है। शोध में एमिक व एटिक उपागम का प्रयोग किया गया है। शोध की प्रकृति गुणात्मक व विवरणात्मक है। सूचना संकलन के लिए निद"ान के रूप में विविध प्रकार के 160 भिखारियों का प्रयोग किया गया है।

मुख्य शब्द : भिक्षावृति, दरिद्रता की संस्कृति ।

प्रस्तावना

बैंड, ट्राइव एवं चीफडम स्तरीय समाज में भिक्षावृति के स्वरूप का द"ान नहीं होता है। स्पष्ट रूप से राज्य स्तरीय समाज में भिक्षावृति की उत्पत्ति हुई होगी। भिक्षावृति वर्त्तमान में वृति भी है और पे"ाा भी। भिक्षावृति हेय व निम्न कर्म है, किन्तु असामाजिक नहीं। भिक्षावृति में भीख मांगने वाला अर्थात् भिखारी को दाता के हित में किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक श्रम या सेवा नहीं देनी पड़ती है। भिक्षावृति एक तरह से गैर कानूनी कार्य है , किन्तु सामाजिक व धार्मिक व्यवहार, वि"वास व मान्यताओं के अनुरूप जीवन जीने का मान्य कर्म है। भिक्षावृति के माध्यम से निर्बलों, अनाथों, अपाहिजों, बेघरों असहायों, निर्धनों आदि को बिना श्रम या सेवा दिए पेट पालने का जुगाड़ हो जाता है। भिक्षावृति ऐतिहासिक, सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक वृति/पे"ाा है एवं यह दे"ा व काल सापेक्षिक है। भिक्षावृति अहिसात्मक वृति है। भिक्षावृति के माध्यम से कामचोरों , निकम्मों, आलसी व्यक्तियों का भी गुजारा हो जाता है। भीख मांगना सामाजिक दृष्टिकोण से अधम/निम्न कर्म है, किन्तु भीख देना पुण्य व धर्म का काम है। भिक्षावृति व्यक्ति, परिवार, समाज व राष्ट्र के विकास में अवरोधक है। भिक्षावृति वैयक्तिक व सामाजिक विचलन का द्योतक है। भिक्षावृति आजीविका का निकृष्ट वृति/पे"ाा है एवं गैर कानूनी वृति है। इसके बावजूद अपराध, आतंकवाद, अपहरण, चोरी–डकैती, हत्या आदि जैसे कार्यों से बेहतर है। भिक्षावृति के माध्यम से बेहतर जीवन जीना संभव नहीं है। सभी निर्धन भिखारी नहीं होते हैं, किन्तु भिखारी निर्धन ही होते हैं।

भिक्षावृति की सर्वकालिक, सार्वभौमिक एवं सर्वमान्य परिभाषा देना बड़ा ही कठिन है। दे"ा व काल के परिप्रेक्ष्य में भिक्षावृति के उद्दे"य, स्वरूप, प्रकृति कारण आदि में अत्यंत विविधता क फलस्वरूप सामान्यीकरण करते हुए भिक्षावृति को परिभाषित करना आसान प्रतीत नहीं होता है। प्र"ाासनिक दृष्टिकोण से भारत में भिक्षावृति की जो परिभाषा दी गई है वह विसंगतिपूर्ण है, साथ ही साथ पा"चात्य यूरोपीय अवधारणों के अनुरूप भिक्षावृति को पारिभाषित करना किसी भी दृष्टिकोण से उक्तिसंगत या न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। भिक्षावृति, भिक्षा, भिक्षुक, भीख व भिखारी आदि शब्दों का अनुप्रयोग बहुअर्थी होता आया है। भिक्षावृति एक अवधारणात्मक, संदर्भात्मक एवं समय व मूल्य सापेक्ष्य शब्द है।

आधुनिक भारत म भिक्षावृति को सर्वप्रथम **यूरोपियन वेगरेन्सी एक्ट 1884** के तहत भिक्षावृति को पारिभाषित किया गया। यद्यपि इस कानून में भिक्षावृति को ठीक ढंग से पारिभाषित नहीं किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार– ''अकिंचन–आवारा या भिखारी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, जिसक निर्वाह के लिए कोई प्रकट समाधान नहीं होता है या जो अपने बारे में संतोषजनक विवरण नहीं दे सकता''।[1]

पा"चात्य दे"ा इंग्लैंड के संदर्भ में भिक्षावृति को पारिभाषित करते हुए कहा गया है, '' भिखारी से उन सभी व्यक्तियों को बोध होता है जो इधर–उधर घ्मते हैं या जो किसी सार्वजनिक स्थानों जैसे– सड़क, राजमार्ग,

कचहरी आदि के आस–पास रहते हैं या रहकर भीख मांगने या एकत्र करने का कार्य करते हैं। जो या तो स्वयं भीख मांगते हैं या 16 वर्ष से कम आयु के बालक–बालिकाओं को भीख मांगने के लिए प्रेरित करते हैं या भीख मांगने के लिए रख लेते हैं और वे लोग भी भिखारी हैं जो किसी झूठे उद्दे"य से दान या चंदा इकट्ठा करते हैं।''[2]

बम्बई भिक्षावृति एक्ट 1945 के अनुसार भिक्षावृति का अर्थ होता है – '' किसी सार्वजनिक स्थान पर यों ही या किसी बहाने भीख के लिए याचना करना या भोख लेना, चाहे उसे गाकर, नाचकर, भाग्य बताकर, हाथ की सफाई दिखाकर या सामान बेचकर या उनके बहाने किये जाए, भीख को याचना या उसे प्राप्त करने के उद्दे"य से किसी निजी परिसर में प्रवे"ा करना। भीख प्राप्त करने या ऐंठनें के उद्दे"य से आदमी या जानवर के फोड़े, घाव, चोट, विकृति या रोग दिखाना या प्रदर्"ात करना, निर्वाह के लिए कोई दृष्टिगोचर साधन न होना तथा किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसी द"ाा में या इस तरह रहने लगे कि ऐसा करने वाले व्यक्ति का निर्वाह भीख या याचना प्राप्ति से ही होता है। भीख की याचना या प्राप्ति के उद्दे"य से स्वयं प्रद"ान के रूप में व्यवहृत होने देना।''[3]

भिक्षावृत्ति निवारण विधेयक, 2010 के अनुसार ''भिखारी'' से कोई व्यक्ति जो भिक्षावृत्ति में लिप्त है, अभिप्रेत है; एवं ''भिक्षावृत्ति''से अभिप्रेत है

1. दया भाव जागृत करके रेलवे, बस स्टाप, सड़क के किनारे और जन परिवहन सहित सार्वजनिक स्थान पर भिक्षा की याचना करना, और
2. भिक्षा की याचना करने या भिक्षा प्राप्त करने के प्रयोजन से किसी निजी परिसर में प्रवेश करना।''[4]

अधिनियम के अर्न्तगत निम्नलिखित व्यक्तियों को भिखारी नहीं समझा जाता –

1. केन्द्रीय राहत समिति द्वारा लाइसेंस प्राप्त धार्मिक भिखारी।
2. किसी धार्मिक संकल्प या दायित्व के अनुपालन में किसी व्यक्ति द्वारा भिक्षा संग्रह करने वाले, अगर वह लोक कष्टक नहीं हो।
3. केन्द्रीय राहत समिति के लिखित प्राधिकरण पर किसी सार्वजनिक संस्था के लिए अ"ादान संग्रहित करने वाले व्यक्ति
4. अध्ययन के लिए भिक्षा संग्रहित करने वाले विद्यार्थी।

इस प्रकार स्पष्टतः कहा जा सकता है कि प्र"ाासनिक दृष्टिकोण से भिक्षावृति की जो परिभाषा दी गई है वह सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व भारतीय परम्परागत दृष्टिकोण से कई मायने में अप्रसांगिक प्रतीत होता है। इसकी सबसे कमी यह है कि गलियों, सड़क के किनारे, चौक– चौराहों आदि जगहों में अपनी छोटी–मोटी व्यवसाय चलाने वाले गरीब लोगों की वृति को भी भिक्षावृति के दायरे में शामिल कर लिया गया है। वस्तुतः उपरोक्त परिभाषाओं का मुख्य आधार मुम्बई भिक्षावृति अधिनियम है, जो यूरोपीय आवारागर्दी अधिनियम से पूर्णतः प्रभावित हैं।

प्रस्तुत शोध के संदर्भ में भिक्षावृति से अभिप्राय सरलतम शब्दों में भीख मांगकर जीवन जीने की वृति/कर्म से है। भिक्षावृति से तात्पर्य ऐसे वृति/कर्म/से है जिसमें भीख मांगने वाला अर्थात भिखारी दया, भगवान, सहानुभूति, मानवता, धर्म–कर्म, पुण्य आदि के नाम पर शारीरिक अपंगता, शारीरिक असमर्थता, निराश्रितता, अनाथ, दीन–दुःखी, लाचारी, निर्धनता, मानसिक बिमारी आदि का प्रकटीकरण करते हुए भीख देने वाले अर्थात दाता के प्रति या हित में बिना किसी भी तरह के श्रम व सेवा प्रदान किए याचना, विनती, प्रार्थना, अनुरोध आदि भाव व व्यवहार का प्रद"ान कर भीख मांगकर अपना व अपने आश्रितों का भरण–पोषण करता है। भिक्षावृति एक तरह से एक पक्षीय लेन–देन की वृति, कर्म या पे"ाा है जिसमें हर हाल में भिखारी को लेना है व दाता को देना।

भीख से तात्पर्य भिखारी द्वारा भीख मांगे जाने या मांगने के प्रद"ान के आधार पर ही दाता द्वारा दिये जाने वाले पैसों, रूपयों, वस्त्रों, भोजन, खाद्य पदार्थों, बर्त्तनों आदि से है। भिखारी से अभिप्राय भीख मांगने वाले व्यक्ति से है।

प्रस्तुत अध्ययन क संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तियों को भिखारी की श्रेणी में नहीं रखा गया है –

1. ब्राह्मणवृति के तहत माँगने खाने वाले।
2. केन्द्रीय राहत समिति द्वारा लाइसेंस प्राप्त धार्मिक भिखारी।
3. किसी सामाजिक, धार्मिक सांस्कृतिक व विकासात्मक संकल्प के निर्वहण हेतु धन संग्रह करने वाले।
4. अध्ययन व चिकित्सा के लिए धन माँगने व संग्रह करने वाले।
5. राष्ट्र, समाज व दूसरों की सेवा सहायता व कल्याण के लिए धन आदि का संग्रहण करने वाले।
6. हिजड़ा, गुलगुलिया, बहुरूपिया, ज्योतिषी, जादूगर आदि वि"ोष वर्ग से संबंधित मांगने खाने वाले व्यक्ति एवं पूर्ण रूपेण मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति।

''गरीबी की संस्कृति'' या ''दरिद्रता की संस्कृति'' की अवधारणा

''गरीबी की संस्कृति'' या ''दरिद्रता की संस्कृति'' शब्द/पद का सर्वप्रथम प्रयोग ऑस्कर लेविस (1966) ने मैक्सिको, प्यूरिटो रिको तथा न्यूयार्क के शहर के गरीब समदायों के अपने अध्ययन में किया गया है। उनका मानना है कि गरीबी की उत्पति रोजगार, पूँजीवादी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था से होती है और इसका प्रतिबिम्ब अवसर, साधन व संसाधन की असमान वितरण के संदर्भ में स्पष्टतः देखा जा सकता है। उनके अनुसार गरीब व्यक्ति गरीबी के साथ दरिद्रता की संस्कृति के साथ अनुकूलन करता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होती रहती है। इस संदर्भ में लेविस महोदय ने कई सांस्कृतिक तत्वों की सूची बताई जिसमें प्रमुख सांस्कृतिक तत्वों में गरीब व्यक्तियों का वर्त्तमान के प्रति उन्मुखता/अनुस्थापन एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण, भविष्य के लिए किसी योजना बनाने की असफलता तथा स्त्री मुखिया केन्द्रित परिवारों की अधिकता आदि है। लेविस का मानना है कि संस्कृति के तत्व बहुत छोटी अवस्था में सीख लिए जाते हैं जो गरीब व्यक्तियों की शीर्ष गति"ाीलता में अवरोध उत्पन्न करते हैं। गरीब परिवारों में बालकों के पालन पोषण में विविध प्रकार की व्यवहारात्मक समस्याऐं पैदा होने की संभावना सदैव बनी रहती है व प्रायः इन

समस्याओं का पुनरावृति अगली पीढ़ी में होती है। यद्यपि इस अवधारणा की कई आधारों पर आलोचना भी हुई है, तथापि समाज"ाास्त्रीय एवं मानव"ाास्त्रीय साहित्य में इसका प्रयोग भी होता रहा है। 1970 के द"ाक में इसका खूब प्रयोग हुआ है। इन सबके बावजूद गरीबी के साथ अनुकूलन, गरीबी में समाजीकरण, गरीबी में बच्चों का लालन–पालन और गरीबों के मूल्य संबंधी यक्ष प"न इस अवधारणा की सार्थकता को चुनौती देते रहते हैं। मानव"ाास्त्रीय विद्या में जिन प्रमुख बिन्दुओं पर इस अवधारणा की आलोचना होती है, वे बिन्दु निम्नलिखित हैं:–

1. यह अवधारणा संस्कृति के स्थावर/जड़वत दृष्टिकोण को द"ार्ाती है। इस अवधारणा के अनुरूप गरीब काल के साथ परिवर्त्तन पर ध्यान केन्द्रित नहीं की पाते।
2. ''दरिद्रता की संस्कृति'' की अवधारणा के अनुसार गरीब लोगों की मूल्यों , भावनाओं, विचारों, जीवन दृष्टि आदि में स्पष्टतः अंतर पाया जाता है।
3. ''दरिद्रता की संस्कृति में बच्चों का समाजीकरण समुचित ढंग से नहीं हो पाता है एवं इसकी पुनरावृति अगली पीढ़ी में होता रहता है।

अध्ययन का उद्देश्य

आलेख का मूल उद्दे"य हिन्दूधाम पुरी में भिक्षावृति करने वाले विविध प्रकार के भिखारियों के जीवन शैली व संस्कृति के संदर्भ में ऑस्कर लेविस द्वारा प्रस्तुत ''दरिद्रता की संस्कृति'' की अवधारणा की व्याख्या व वि"लेषण करना है।

भिखारियों में विकास के प्रति नजरिया, विकास के लिए किये जाने वाले संप्रयासों, भविष्य के प्रति सजगता, बच्चों का लालन–पालन व समाजीकरण को समझना अध्ययन का मूल उद्दे"य है। साथ ही साथ भिखारियों के जीवन दृष्टि, भावनाओं, विचारों व प्रगति उन्मुख परिवर्तन के प्रति उनके विचारों व संप्रयासों में आने वाले बदलावों को जानना भी अध्ययन का उद्दे"य है।

अध्ययन का महत्त्व

प्रस्तुत अध्ययन की महत्ता यह है कि इस अध्ययन से भिक्षावृति एवं भिखारी से संबंधित स्तरीय, सं"लेषित, गुणात्मक, वस्तुनिष्ठ, वि"लेषणात्मक वर्णन व जानकारी की कमी की पूर्ति एक हद तक होगी। सामाजिक ताना बाना से अलग हुए भिखारियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं संस्थागत व प्रथागत मूल्यों, वि"वासों, मनोवृतियों, व्यवहारों एवं क्रियाकलापों से संबंधित अद्यतन, यर्थाथ व स्पष्ट जानकारी हासिल होगा। भिखारियों के पूर्ववर्ती पीढ़ी व वर्त्तमान पीढ़ी के बारे में अध्ययन करना महत्वपूर्ण है।

व्यवहारिक व अनुप्रयोगात्मक स्तर पर पर ऐसी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों एवं प्रारूपों को तैयार करने में सहायता मिलेगा जिससे भिक्षावृति से संबंधित समस्यामूलक आयामों से छुटकारा पाया जा सकेगा एवं विगत वर्षों में भिक्षावृति से संबंधित नियमों, कानूनों व नकारात्मक प्रभावों की समीक्षात्मक मूल्यांकन करने में सहायता मिलेगी। प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से भिक्षावृति के संदर्भ में आए नवीन बदलावों, भिक्षावृति के प्रकृति, स्वरूप व उद्दे"य में आने वाले परिवर्त्तनों व नवीन प्रवृतियों की गुत्थी सुलझाने में मदद मिलेगी।

शोध प्रश्न

1. क्या गरीबों की संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में भिखारियों की अपनी जीवन शैली है .....?

अध्ययन ईकाई

निद"ान प्रविधि के माध्यम से शोध अध्ययन ईकाई के रूप में 60 कुष्ठ रोगी भिखारी, 20 महिला भिखारी, 20 विकलांग भिखारी, 15 बाल भिखारी, 15 वयस्क भिखारी, 15 प्रौढ़ भिखारी,15 वृद्ध भिखारी चयन व प्रयोग किया गया है।

सूचनादाताओं का चयन

सूचनादाताओं के चयन के पहले हमने पाइलट सर्वे किया। भिखारियों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त किया । तत्प"चात आयु,अवस्था, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक संरचना, भाषा, धर्म, प्रान्त, f"ाक्षा एवं शारीरिक स्थिति यथा–समर्थ, असमर्थ, निः"ाक्त, बिमारी, विकलांगता, अपंगता आदि को आधार बनाकर भिखारियों को विविध वर्गों में वर्गीकृत किया। उसके बाद दैव निद"ान विधि का प्रयोग कर सूचनादाताओं का चयन किया।

सूचनाओं के संकलन के लिए प्रयुक्त विधियाँ/तकनीक

क्षेत्र कार्य के दौरान मैनें मानवविज्ञान की मानक अनुसंधान तकनीकों/विधियों का अनुप्रयोग किया। हमने अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, अनुसूची विधि, जीवन वृतांत विधि, वैयक्तिक अध्ययन विधि, निद"ान विधि, छायाचित्र विधि एवं रिकार्डिंग विधि का मुख्य रूप से प्रयोग कर सूचनाओं का संकलन किया है।

निष्कर्ष

''गरीबी की संस्कृति'' वाली अवधारणा भिखारियों पर एक हद तक लाग् होती दिखती है। उनके जीवन द"ान, जीवन मूल्य, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, जीवन शैली, आदि में सफल, सामान्य, व अमीर लोगों से स्पष्ट विभेद पाये जाते हैं। पुरी के सभी भिखारियों में वर्त्तमान के प्रति उन्मुखता/अनुस्थापन एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण व भविष्य के लिए किसी योजना बनाने की असफलता के लक्षण एक जैसे नहीं पाये जाते हैं। ''दरिद्रता की संस्कृति'' की भाँति भिखारियों के द्वारा अपने बच्चों का समाजीकरण सही ढंग से नहीं किया जाना स्पष्ट रूप से सत्य है। भिखारियों में हीन भावना, कुंठा का भाव, लक्ष्यहीन जीवन, आद"ार्ा व मूल्यहीन जिन्दगी, परम्पराओं व रीति–रिवाजों से अलगाव आदि जैसे पहलुओं के संदर्भ में ''दरिद्रता की संस्कृति'' वाली अवधारणा एक हद तक सही परिलक्षित होती है। यह भी काफी हद तक सही प्रतीत होता है कि कुछ एक अपवाद को छोड़कर सभी भिखारियों के जीवन मे शायद ही सकारात्मक, गुणात्मक व सुधारात्मक बदलाव आते हैं। ''दरिद्रता की संस्कृति'' के संदर्भ में लेविस महोदय द्वारा वर्णित प्रमुख सांस्कृतिक तत्वों मे से सभी तत्व सभी वर्ग व प्रकार के भिखारियों में एक समान परिलक्षित नहीं होते हैं। अकेले जीवन जीने वाले फूटपाथी व बेघर भिखारियों और स्थायी आवास में पारिवारिक जीवन जीने वाले भिखारियों के जीवन शैली व दृष्टिकोण, भविष्य के प्रति सचेष्टता, इच्छा व आव"यकता, सामुदायिक व सांस्कृतिक जीवन तथा आहार व्यवहार में स्पष्ट अंतर पाये जाते हैं। अपनी संतानों को भिक्षावृति के मकड़जाल से अलग रखकर अपनी सार्मथ्यता के अनुरूप

f"kk दिलाने तथा उन्हें मेहनती व काबिल बनाने के प्रति भिखारियों में सजगता व सक्रियता, बच्चों के लालन–पालन के प्रति सचेष्टता आदि जैसे संलक्षण के संदर्भ में लेविस महोदय की ''गरीबी की संस्कृति'' वाली अवधारणा शत प्रति"kkत सही प्रतीत नहीं होती है। भिखारियों की संतान भी f"kk व रोजगार के क्षेत्र में बेहतर प्रद"kkन कर रहें हैं। भिखारियों के घरों में टीवी, पंखा, फ्रोज, पलंग, गाड़ी जैसे भौतिक संसाधन का होना जीवन जीने की शैली में बदलाव को परिलक्षित करता है। उनके पास मोबाइल इस बात का परिचायक है कि समय के मांग के अनुरूप इनकी पसंद व जरूरत में भी बदलाव के बयार आने लगे हैं। बैंकों में खाते खोलना एवं भविष्य के लिए बचत करने की प्रवृति व व्यवहार से भी लेविस महोदय की ''गरीबी की संस्कृति'' वाली अवधारणा असंगत प्रतीत होती है। इस संदर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि अवसर व संसाधन की उपलब्धता की स्थिति में भिखरियों में भी प्रगति करने की ललक पायी जाती है। ये लोग भी बेहतर जीवन जीने का सपना देखने लगे हैं। इनके सोच, समझ, विचार व व्यवहार में बदलाव आ रहे हैं। सभी भिखारियों में एक समान जीवन जीने की आदत नहीं पायी जाती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. दंड प्रक्रिया संहिता
2. योजना आयोग, भारत सरकार, सो"kल लेजि"kले"kनः इटस रोल इन सो"kल वेलफेयर, 1956 पेज– 229
3. बम्बई भिक्षावृति एक्ट 1959, अध्याय–1 (प्रारंभिक) का कंडिका 2(1)
4. भिक्षावृति निवारण अधिनियम, 2010, कंडिका 2 का ख व ग, पृ.सं.–1